राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2416/2008

जियाउद्दीन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कान सिंह, सहायक वाहन चालक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड सवाईमाधोपुर।
4. रामहेत मीणा, चौकीदार/बेलदार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2008
आदेश की दिनांक : 05.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.07.2006 एवं 13.10.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 17.02.1989 को सहायक वाहन चालक के पद पर की गई तथा दिनांक 01.01.1995 को अपीलार्थी को अर्द्धस्थाई घोषित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.02.1999 को अपीलार्थी को वाहन चालक के पद पर स्थाई किया गया, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 रामहेत मीणा की नियुक्ति दिनांक 01.03.1979 को चौकीदार/बेलदार के पद की गई, जब से रामहेत मीणा चौकीदार के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा दिनांक 23.02.1998 को जारी वरिष्ठता सूची में रामहेत मीणा का नाम क्रम संख्या 4 पर अंकित है (अनुलग्नक–1)। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा विभाग में कार्यरत वाहन चालकों की सूचना चाहे जाने पर सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.06.2003 को कार्यालय में कार्यरत वाहन चालकों की सूचना भिजवाई। इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दिनांक 08.07.2003 को विभाग में कार्यरत वाहन चालकों की सूचना भिजवाई, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित है (अनुलग्नक–2 एवं 3)। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दिनांक 19.07.2006 को उसके अधीन कार्यरत नियमित सहायकों, चौकीदारों एवं बेलदारों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 31.03.2006 को आधार मानते हुए जारी की गई इस

सूची में श्री रामहेत मीणा चौकीदार के पद पर कार्यरत है (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.05.1998 द्वारा पदोन्नति सूची जारी की गई, जिसमें रामहेत मीणा का नाम क्रम संख्या 62 पर अंकित है, जिसे वृत्त सवाईमाधोपुर में वाहन चालक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 13.10.2008 को जारी आलोच्य पदोन्नति आदेश में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 कानसिंह का नाम क्रम संख्या 97 पर अंकित है, जिसे वाहन चालक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि रामहेत मीणा बेलदार के पद पर कार्यरत था और कानसिंह अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद भी वाहन चालक के पद पर स्थाई रूप से पदोन्नत किया गया है (अनुलग्नक–5 एवं 6)। अपीलार्थी द्वारा इन दोनों आलौच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 06.05.2008 एवं 13.10.2008 को इस अपील में चुनौती दी है, जिसके अनुसार रामहेत मीणा विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत है और उसे वर्ष 2006 तक ड्राईवर के पद पर कार्य करने का कोई सबूत नहीं है। रामहेत मीणा का नाम वर्ष 2003 में चालक के पद पर पदोन्नति की अनुशंषा सूची में भी अंकित नहीं है। नियमानुसार चौकीदार को ड्राईवर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता। अतः रामहेत मीणा की वाहन चालक के पद पर पदोन्नति नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसी प्रकार निजी प्रत्यर्थी कानसिंह को वाहन चालक के पद पर पदोन्नत किया गया है जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ होने के आधार पर कानसिंह से पहले पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः कानसिंह का पदोन्नति आदेश भी विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेशों को अपास्त किया जाने और अपीलार्थी को वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर वाहन चालक के पद पर पदोन्नति पाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि वाहन चालक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है। कार्यप्रभारित कर्मचारियों को नियमित वाहन चालक के पद पर वित्त विभाग के पत्र दिनांक 31.10.1997 के द्वारा 104 वाहन चालकों के पद सृजित किए जाने के फलस्वरूप जो कार्यप्रभारित सहायक पूर्व में 5 वर्ष से नियमित रूप से वाहन चला रहे थे, को नियुक्ति दी गई है। आदेश दिनांक 13.10.2008 द्वारा पदोन्नति नहीं दी गई है। अपितु नियमित वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है जिसमें किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं है। आलौच्य आदेश द्वारा पात्र वाहन सहायकों को वित्त विभाग द्वारा पद सृजित किए जाने के उपरान्त नियमित वाहन चालक के पद पर नियुक्ति दी गई है। अतः अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सवाई माधोपुर अधीक्षण अभियंता के अधीन कार्यरत नियमित सहायक एवं चोकीदारों की दिनांक 23.02.1998 के सदंर्भ में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 23.02.1998 (अनुलग्नक–1) में रामहेत मीणा चौकीदार/बेलदार के पद पर नियुक्त होना अंकित है, जिसके अनुसार दिनांक 01.03.1979 से बेलदार, दिनांक 01.04.1982 से कार्यप्रभारित चौकीदार और दिनांक 01.04.1985 से नियमित चौकीदार के पद पर कार्यरत होना अंकित है। विभाग द्वारा वर्क चार्ज/ वर्क चार्ज से नियमित हुए वाहन चालकों की सूचना चाहे जाने पर सहायक अभियन्ता नगर उपखण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.06.2003 को प्रेषित सूचना में क्रम संख्या 3 पर जियाउद्दीन का नाम अंकित है (अनुलग्नक–2)। अधिशाषी अभियंता खण्ड सवाई माधोपुर द्वारा पत्र दिनांक 05.07.2003 द्वारा प्रेषित वाहन सहायकों की सूचना में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–3 पर अंकित है। इसके अनुसार उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.02.1989 को हुई, अर्द्धस्थाई 01.01.195 से किया गया और दिनांक 17.02. 1999 से उसकी सेवाओं का नियमितकरण किया गया और वर्ष 1998 से वाहन चलाने का अंकन इस सूचना में अंकित है (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके अधीन कार्यरत नियमित सहायकों, चौकीदारों और बेलदारों के संबंध में दिनांक 31.03.2006 के संदर्भ में प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गई (अनुलग्नक–4), जिसमें निजी प्रत्यर्थी रामहेत मीणा का नाम क्रमांक–3 पर अंकित है। जिसमें यह भी अंकित है कि रामहेत मीणा को आदेश दिनांक 30.09.2000 द्वारा तदर्थ रूप से सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.05.1998 (अनुलग्नक–5) द्वारा वाहन चालकों के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें क्रम संख्या 62 पर निजी प्रत्यर्थी रामहेत मीणा का नाम अंकित है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 13.10.2008 (अनुलग्नक–6) द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत कार्यप्रभारित सहायक जो वर्ष 1993 तक नियुक्त हुए है और दिनांक 31.03.1999 तक विभागीय वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव और निरन्तर विभागीय वाहन चला रहे उनकी स्क्रीनिंग की जाकर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत 104 वाहन चालकों के पदों पर नियमित वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इस सूची में निजी प्रत्यर्थी कानसिंह का नाम क्रम संख्या 97 पर अंकित है। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्ष 1998 से विभागीय वाहन चला रहा था। लिहाजा दिनांक 31.03.1999 तक 05 वर्ष का विभागीय वाहन चलाने का अनुभव धारित नहीं करता है। लिहाजा उसे नियमित वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की अनुशंषा स्क्रीनिंग कमैटी द्वारा नहीं की गई। जहां तक निजी प्रत्यर्थी कानसिंह का प्रश्न है उपलब्ध सूचना के अनुसार 17.05.1989 से विभागीय वाहन चला रहा है लाईसेंस भी धारित किया जा रहा है। लिहाजा विभागीय मानदण्डों में पात्रता रखने के कारण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अभिशंषा के पश्चात वाहन

चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी रामहेत मीणा को चौकीदार से सहायक के पद पर दिनांक 30.09.2000 द्वारा तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई है और आदेश दिनांक 06.05.2008 द्वारा वाहन चालक के पद पर चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान की गई है। प्रकरण में रामहेत मीणा को भी पक्षकार बनाया गया है और दानों निजी प्रत्यर्थी दिनांक 15.12.2009 को अधिकरण में व्यक्तिशः उपस्थित हुए है और उनकी तरफ से अपील में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रकरण में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पात्रता धारित नहीं किए जाने के कारण उसे वाहन चालक के पद पर आदेश दिनांक 13.10.2008 द्वारा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। रामहेत मीणा को किस आधार पर वाहन चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है यह जांच का विषय है। प्रकरण में अपीलार्थी को वाहन चालक पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित पात्र धारित नहीं करने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नत/नियुक्ति किए जाने का अनुतोष अस्वीकार किया जाता है। निजी प्रत्यर्थी कानसिंह को वाहन चालक के पद पर नियुक्त किए जाने की कार्यवाही में कोई अनियमितता उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर नहीं पाई गई है। रामहेत मीणा के प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वाहन चालक के पद पर उसे आदेश दिनांक 06.05.2008 द्वारा प्रदान की गई पदोन्नति के संबंध में अति. मुख्य अभियन्ता के स्तर पर कमेटी का गठन किया जाकर परीक्षण किया जावे और यदि यह पाया जावे कि पदोन्नति नियमानुसार नहीं की गई है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

आदेश आज दिनांक..................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)